

Annexure "A"

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा

इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत
अनुदान हेतु आवेदन पत्र

सेवा में

जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी-----

निवेदन है कि मेरी लड़की की शादी दिनांक-----को
होनी निश्चित हुई है । आपसे अनुरोध है कि मुझे इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत
-----रु० का अनुदान स्वीकृत करने का कष्ट करें । मेरा ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

1. (अ) लड़की का नाम जिसकी शादी है-----
(ब) जन्म तिथि-----

2. पिता का नाम-----

3. जाति-----

4. वर्ग (अनुसूचित जात / पिछड़े वर्ग / सामान्य वर्ग)-----

5. पूरा स्थाई पता-----

6. शादी की तारीख-----

7. भावी वर तथा उसके पिता का नाम व पूरा
पता-----

8. लड़की के परिवार का व्यवसाय(यदि सरकारी नौकरी में है तो पद का
नाम)-----

9. गरीबी रेखा की सूची में नाम दर्ज है अथवा
नहीं-----

10. यदि किसी अन्य लड़की की शादी के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत पहले अनुदान प्राप्त किया
है

उसका
नाम-----

घोषणा:—

मैं सत्यापित करता / करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी उपरान्त कोई भी तथ्य
गलत पाया जाता है तो मैं यह राशि सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माने सहित वापिस कर दूंगा / दूंगी

। यदि कालम न0 6 में दर्शाई गई तारीख को शादी सम्पन्न नहीं होती तो मैं सारी राशि वापिस करने की जिम्मेवारी लेता हूं/लेती हूं ।

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
माता-पिता/अभिभावक

सत्यापन:-

मैं श्री-----पुत्र
श्री-----

पिता-----जाति-----गांव----- को
व्यक्तिगत

रूप से जानता हूं जो कि शादी के अनुदान के लिये आवेदन कर रहा है । आवेदक द्वारा जो तथ्य दिये गये हैं, वे ठीक हैं ।

सरपंच/नम्बरदार/

हस्ताक्षर

पटवारी/नगरपार्षद

मोहर सहित